

जय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर
न अधिकारी :- राजेश जाखड़

सं. 74 / 2023

उनवान

1. नगेन्द्र सिंह पुत्र गंगासिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

-वादी-

बनाम

1. उमराव सिंह पुत्र गंगासिंह
2. उषाकंवर पुत्री गंगासिंह
3. दुर्गाकंवर पुत्री गंगासिंह
4. भंवर सिंह पुत्र गंगासिंह
5. मंजूकंवर पुत्री गंगासिंह
6. महेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह
7. रेणू पुत्री गंगासिंह
8. राजेन्द्र सिंह पुत्र गंगासिंह
9. वीरेन्द्र सिंह पुत्र गंगासिंह
10. संतोषकंवर पुत्री गंगासिंह
11. सुनिता पुत्री गंगासिंह
12. सुरजकंवर पुत्री गंगासिंह

जाति राजपूत, निवासी ग्राम कालाडेरा तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
14. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
15. बैंक ऑफ बडौदा, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक:- 27.10.2023

पत्रावली पेश हुई। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 18.08.2023 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमूँ को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूँ से दिनांक 20.10.2023 को कुरेजात प्राप्त हुए हैं। अधिवक्ता वादी की एक पक्षिय बहस सुनी गई। पत्रावली, रिकार्ड, कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 18.08.2023, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार तहसील चौमूँ से प्राप्त कुरेजात दिनांक 18.08.2023 के अनुसार वादी का वाद अन्तिम डिक्री करवाये जाने के लिए निवेदन किया। अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमूँ से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 18.08.2023 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 163 के खसरा नम्बर 3488/1 रकबा 0.42 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 3489 रकबा 3.54 कुल किता 2 का कुल रकबा 3.96 हैक्टेयर में वादी का खातेदारी हिस्सा 3/28 भाग एवं खाता संख्या 163 के खसरा नम्बर 3351/2 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3490 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3491 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3492 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3493 रकबा 1.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3494 रकबा 1.72 हैक्टेयर, कुल किता 6 का कुल रकबा 3.63 हैक्टेयर में वादी का खातेदारी हिस्सा 3/28 भाग वाके ग्राम कालाडेरा, पटवार हल्का कालाडेरा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसीलदार चौमूँ द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ जिला जयपुर

नगेन्द्रसिंह राजेन्द्र सिंह पि० गंगासिंह हिस्सा 3/14, उमरावसिंह, भंवरसिंह, महेन्द्रसिंह, वीरेन्द्रसिंह, सुनिता, सुरजकंवर, सन्तोषकंवर, उषाकंवर, मंजूकंवर, दुर्गाकंवर, रेणू पि० गंगासिंह हिस्सा 11/14 जाति राजपूत सा० देह को खसरा नम्बर 3490/1 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म बजड, खसरा नम्बर 3489/10 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म चाही-3, खसरा नम्बर 3489/9 रकबा 0.06 है० किस्म चाही-3, खसरा नम्बर 3493/3 रकबा 0.08 है० किस्म चाही-3, खसरा नम्बर 3494/1 रकबा 0.13 है० किस्म चाही-3 कुल किता 05 का कुल रकबा 0.3505 हैक्टेयर, जो संलग्न नजरी नक्शे में क्रम संख्या 14 पर दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जयपुर
उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर